भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1357

(जिसका उत्तर सोमवार, 1 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया गया)

सामाजिक उद्यम निधियों के लिए सी.एस.आर. निधियां

1357. श्री अण्णा साहेब शंकर जोल्लेः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनियां सामाजिक उद्यम निधियों (सेबी के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत गठित) के लिए अपनी सी॰एस॰आर॰ निधि से अंशदान करने पर विचार कर रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ऐसी निधियों के लिए सी॰एस॰आर॰ अंशदान की अनुमति प्रदान करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्रीमती निर्मला सीतारामन)**

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में कंपनियों द्वारा किए जाने वाले सीएसआर कार्याकलाप सूचीबद्ध किए गए हैं और 'सामाजिक उद्यम निधि' इसके अंतर्गत कवर नहीं होती है।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

****